इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2025—माघ 29, शक 1946

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025

एफ-1-1-4-0005-2025-अड़तीस-3.—जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कार्यकलापों एवं कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 और 67 के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को दिनांक 18 फरवरी, 2025 से लागू होंगे.

F. No. 1-1-4-0005-2025-XXXVIII-3.—Whereas, on the basis of material which has been made available regarding mismanagement of affairs of the Jiwaji University, Gwalior, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) without detriment to the interest of the University and it is expendient in the interest of the University to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, directs that the provisions of section 13, 14, 20 to 25, 40, 47, 48, 54 and 67 of the said Act shall apply to the said University from date 18th February, 2025 subject to the modifications specified in the Third Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनुपम राजन,** अपर मुख्य सचिव.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.